समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला नजारत प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के उपयोग में आनेवाले सामग्रियों यथा ध्वनि विस्तारक यंत्र/विडियोग्राफी/अस्थायी विद्युत के न्यूनतम दर निर्धारण हेतु द्वि–लिफाफा पद्धति से मुहर बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 9.5.15 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकते है। इसी तिथि को अपराह्न 5.00 बजे जिला क्रय समिति सह दर निर्धारण समिति द्वारा निविदादाताओं की उपस्थिति में निविदा खोला जायेगा एवं विहित प्रक्रियानुसार न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा। सामग्रियों की विस्तृत सूची जिला नजारत प्रशाखा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित कार्यावधि तक प्राप्त किया जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तेः–

i प्रत्येक निविदादाता को 10,000.00 रू0 का जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पक्ष में निर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ii निविदादाता को वाणिज्य कर विभाग से निबंधन प्रमाण–पत्र एवं आयकर विभाग से पैन नम्बर का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा तथा अद्यतन् वाणिज्यकर विभाग से शोधन विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iii जिस आईटम के लिए Shops & Establishment Act एवं सेवाकर के अन्तर्गत निबंधन आवश्यक है तो उस आईटम के लिए उस Act के तहत् निबंधित होने का प्रमाण–पत्र अवश्य देना होगा।

iv निविदादाता फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।

v ध्वनि विस्तारक यंत्र/विडियोग्राफी/अस्थायी विद्युत के लिए निविदादाताओं को स्थानीय होना अनिवार्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

i तकनीकि निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

ii कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने व्यय से जिला मुख्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में करना होगा।

iii न्यूनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मो को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

iv सभी सामग्रियों का दर सभी कर (वैट, आयकर एवं सेवा कर) सहित देना होगा।

v भुगतान के पूर्व नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित वैट, आयकर, सेवाकर की कटौती कर ली जाएगी।

(ग) सामान्य शर्तेः–

i निविदा बिना किसी कारण बताये स्थगित करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ii न्यूनतम दर वाले निविदादाता/फर्म को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व उनके प्रतिष्ठान/दुकान का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। निविदा में अंकित स्थल पर प्रतिष्ठान/दुकान उपलब्ध नहीं रहने पर कार्यादेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

iii किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

iv समय सीमा के अंदर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

v सामग्रियों का दर कार्यालय में उपलब्ध निविदा चार्ट के अनुरूप दिन/मात्रा/संख्या के अनुसार ही अंकित करें अन्यथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी www.eastchamparan.bih.nic. पर देखा जा सकता है।

ह0/—
जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 18 /जि0न0, दिनांक 21/4/15

प्रतिलिपिः— सभी जिलाधिकारी, बिहार/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/सभी विभागाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण, अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा को प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा की दस प्रतियाँ संलग्न करते हुए एवं इसकी सी0डी0 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा का प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।